रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092020-222078
CG-DL-E-28092020-222078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3008] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/आश्विन 6, 1942
No. 3008] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2020/ASVINA 6, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

सं. 33/2015–2020

विषय : आईटीसी (एचएस), 2017 के अध्याय 72, 73 और 86 में सभी एचएस कोडों के तहत आयात हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता संबंधी नीतिगत शर्त शामिल करना।

का.आ. 3370(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची–I (आयात नीति) अध्याय 72, 73 और 86 में एक नीतिगत शर्त जोडती है।

2) अधिसूचना सं. 17/2015–2020 दिनांक 05.09.2019 के तहत आईटीसी (एचएस) 2017 के अध्याय 72, 73 और 86 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट 284 एचएस कोडों की आयात नीति को 'मुक्त' से परिवर्तित कर इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के अंतर्गत अनिवार्य रुप से पंजीकरण के अध्यधीन 'मुक्त' किया गया था।

3) अब आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 72 में नीतिगत शर्त सं. 5 के रुप में, अध्याय 73 में नीतिगत शर्त सं. 2 के रुप में और अध्याय 86 में नीतिगत शर्त सं. 2 के रुप में एक नई नीतिगत शर्त को इन सभी तीनों अध्याय हेतु निम्नानुसार जोडा जा रहा है:–

''इस अध्याय के सभी एचएस कोडों के तहत आयात के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के अंतर्गत अनिवार्य रुप से पंजीकरण कराना अपेक्षित होगा''

अधिसूचना का प्रभावः आईटीसी (एचएस), 2017 के अध्याय 72, 73 और 86 के सभी एचएस कोडों के तहत आयात के लिए अब इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के अंतर्गत अनिवार्य रुप से पंजीकरण कराना अपेक्षित होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/एमओएनआई–5852/एएम–03/पीसी–2(क)/भाग–1/ई–18229]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2020

No. 33/2015-2020

Subject : Insertion of Policy Condition regarding import under all HS codes in Chapter 72, 73 and 86 of ITC (HS), 2017 to require compulsory registration under Steel Import Monitoring System (SIMS).

S.O. 3370(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby adds a new Policy Condition in Chapter 72, 73 and 86 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

2. Vide Notification No.17/2015-2020 dated 05.09.2019, import policy of 284 specified HS codes under Chapter 72, 73 and 86 of ITC (HS), 2017 was changed from 'Free' to 'Free subject to compulsory registration under Steel Import Monitoring System (SIMS)'.

3. Now, a new Policy Condition is being added as Policy Condition No. 5 in Chapter 72, as Policy Condition No. 2 in Chapter 73 and as Policy Condition No. 2 in Chapter 86 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy) for all these three chapters as follows:

"Import under all HS codes of this Chapter shall require compulsory registration under Steel Import Monitoring System (SIMS)"

Effect of the Notification: Import under all HS codes of Chapters 72, 73 and 86 of ITC (HS), 2017 shall now require compulsory registration under the Steel Import Monitoring System (SIMS).

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/MONI-5852/AM-03/PC-2(A)/Part-I/E-18229]

AMIT YADAV, Director Genl. of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA